न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (द.प्र.क्षेत्र), कक्ष संख्या–1,
जनपद कन्नौज।

CNR No. UPKJ01-000803-2024

परिवाद संख्या–34/2024

रूबी देवी प्रति अवधेश आदि

दिनांकः–30.03.2026

वाद पुकारा गया। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

परिवादिनी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

न्यायालय में उपस्थित रीडर द्वारा आदेश पत्र पर यह कथन किया कि आज परिवादिनी की ओर से कोई उपस्थित है और न ही उसकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादिनी का बयान अंतर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 दिनांक 01.08.2024 को अंकित किया गया उसके उपरान्त पत्रावली निरन्तर परिवादिनी के बयान अंतर्गत धारा–202 दं0प्र0सं0 में नियत चल रही है। आज परिवादिनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है। न्यायालय द्वारा परिवादिनी को साक्ष्य अन्तर्गत धारा–202 दं0प्र0सं0 हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। ऐसा परिलक्षित होता है कि परिवादिनी अपने परिवादपत्र पर बल नहीं देना चाहती है।

परिवाद पत्र में किये गये कथनों के समर्थन में परिवादिनी का बयान अन्तर्गत धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसके परिशीलन एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण को तलब किया जा सके। अतः ऐसी स्थिति में परिवादिनी साक्ष्य के अभाव में परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अर्न्तगत धारा–203 दं0प्र0सं0 के प्राविधानों के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(द.प्र.क्षे), कक्ष संख्या–1, कन्नौज।

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.04.01 11:49:13 IST
Reason: COMPLAINT DISMISSED
Location: ADJ COURT NO 1 KANNAUJ